8

28.3.18	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ द्वारा न्यायालय कार्य स्थगित रखा गया है एवं पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/अवकाश पर हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 30-4-18 को पेश हो। रीडर
28.6.18	पत्रावली बाद ख्त्म लोक अदालत बैंच आदेश हेतु आज पेश हुई। उप तहसीलदार [illegible] की रिपोर्ट के अनुसार उक्त [illegible] 1549/17 दि० [illegible].1.18 की पालना के [illegible] सं. 1912 दि० 12.3.18 तस्दीक हो चुका है। अतः पत्रावली में और कार्यवाही शेष नहीं होने से कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] तथा बाद [illegible] कार्यवाही आज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि. 28.6.18 को [illegible] लिखित [illegible] [illegible] गया। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

नकल प्राप्ति दि. निर्णय दि. 9-1-18
मु० नं. 154/17 रतनाराम आदि/रामाना
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: श्री दुर्गाप्रसाद मीना
आर.ए.एस.

वाद स0 154 / 2017
1 रतनाराम
2 भगनाराम
नम्बर पुत्रान गणपतराम जाति जाट निवासीगण ग्राम डूमरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—वादीगण

बनाम

1 जनलाल पुत्र सुरजाराम
2 हरिशचन्द्र पुत्र पोकर (फौत)
2/1 सिणगारी देवी पत्नी हरिशचन्द्र
2/2 चुन्नीलाल
2/3 राजेश कुमार
2/5 समस्त पुत्रान हरिशचन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम डूमरा तहसील नवलगढ
2/6 पुत्री हरिशचन्द्र पत्नी विद्याधर जाति जाट निवासी हमिरवास तहसील झुन्झुनू
विद्याधर
4 सुरेश
5 विजयपाल पुत्रान हनुमान
6 इमरती पत्नी हनुमान
7 नारायण
भगचन्द पुत्रान बिरमा
विनोद कुमार
प्रमोद कुमार पुत्रान मोहनलाल
11 भगवती देवी पत्नी मोहनलाल
12 ओमप्रकाश
रामचन्द्र पुत्रान रिछपाल समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम डूमरा तहसील नवलगढ
दीपक पुत्र राजयकुमार पौत्र रिछपाल जाति जाट निवासी ग्राम डूमरा नाबालिग जरिये बली कुदरती माता सुमनदेवी पत्नी संजयकुमार प्रतिवादीया नं. 16 जाति निवासी ग्राम डूमरा
पुत्र संजयकुमार पौत्र रिछपाल जाति जाट निवासी ग्राम डूमरा नाबालिग जरिये बली कुदरती माता सुमनदेवी पत्नी संजयकुमार प्रतिवादीया नं. 16 जाति जाट निवासी ग्राम डूमरा
सुमनदेवी पत्नरी संजयकुमार जाति जाट निवासी ग्राम डूमरा तहसील नवलगढ
रामराम पुत्र डूंगा जाति जाट निवासी ग्राम डूमरा तहसील नवलगढ
— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

निर्णय दिनांक 08.01.2018

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम डूमरा की सरहद में भूमि पुराने 576 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा व ख.न. 582 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा स्थित थी। जिसमें प्रतिवादी 3/4 हिस्सा व शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 17 व इनके बुजुर्गों का था जिसमें से वादीगण ने भूमि पुराने ख.न. 576 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा में से प्रतिवादी नं. 1 से उसके 3/4 हिस्सा की भूमि में से 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 31.08.1978 को क्रय कर जिसके वादीगण अकेले खातेदार काश्तकार व काबिज हैं व काश्त करते हैं। इसके बाद क्रयशुदा भूमि का पक्षकारान की आपसी सहमकति से दौराने भू प्रबंध खाता अलग किया

T.C.

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

न बदलकर नये ख.न. 1194/294 रकबा 0.55 है0 डाल दिये गये थे। इसके बाद राजस्व
नया राजस्व ग्राम दूदाना का बास बनने पर पुनः नये ख.न. बदली जाकर संवत
ख.न. 1194/294 के स्थान पर नये ख.न. 340 रकबा 0.55 है0 डाल दिये
सक बाद नया राजस्व ग्राम घोसा की ढाणी बनने पर इस भूमि के फिर से नये ख.न. 340 के
रकबा 0.55 है0 डाल दिये गये जो इस भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर हैं। उक्त
विवादित भूमि है जिसको आगे वादपत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है
शेष भूमि का इस वाद में कोई विवाद नही है। उक्त विवादित भूमि को वादीगण ने
31.08.1978 को जरिये विक्रय पत्र क्रय कर उप पंजियक उदयपुरवाटी के यहां
विक्रय पत्र आज भी प्रभाव में हैं। उक्त विवादित भूमि क्रय
था इसप्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण बतौर खातेदार
वादीगण वादग्रस्त भूमि पर बिना किसी बाधा के लगातार
काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात भू–प्रबंध
प्रारम्भ होने पर भू प्रबंध अधिकारियों ने विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 20.04.1980 को
परिशोधन पत्र जारी कर उक्त विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड वादीगण के नाम से दर्ज किये
का आदेश जारी कर दिया था तथा वादीगण क नाम से दर्ज किये जाने का आदेश जारी कर
था तथा वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 17 की पुराने ख.न. 576 की शाश्मलाती भूमि में
वादीगण की क्रयशुदा वादग्रस्त भूमि हाल ख.न. 369 रकबा 0.55 है0 भूमि का अलग खाता बना दिया
इस ख.न. मे से शेष बची भूमि को प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 17 की अन्य भूमि के साथ मिलाकर
ग खाते बना दिये गये। उक्त खसरा परिशोधन पत्र पर विक्रेता प्रतिवादी नं. 1 की अंगूठा निशानी
वादीगण की उक्त क्रयशुदा भूमि का आगे राजस्व रिकार्ड दर्ज करते
य आधार वर्ष 2043 की जमाबंदी में उक्त विवादित भूमि के खातेदार खाने में वादीगण के साथ
वादी नं. 1 व प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 17 के बुजुर्गों पोकर जैसा बिरमा डूंगा का भी नाम दर्ज
र दिया गया जो कतई गलत दर्ज किया गया है जिसके आधार पर आगे का राजस्व रिकार्ड भी गलत
ता रहा। उक्त भूमि के वादीगण अकेले खातेदार काश्तकार व काबिज हैं प्रतिवादीगण का उक्त
वादित भूमि से कोई संबंध व सरोकार नही है इसलिये उक्त भूमि के वादीगण को अकेले खातेदार
घोषित किया जाना कानूनन व न्यायहित में आवश्यक है जिसके लिये यह दावा बाबत
किया जा रहा है। भू–प्रबंध अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा गलत रिकार्ड बनाये जाने का
कोई ज्ञान नही था। वादीगण नं. 1 व 2 ग्रामीण परिवेश के भोले भाले अनपढ व्यक्ति
नं. 3 शुरू से ही बाहर रहकर नोकरी करता था जिसको भी गलत राजस्व रिकार्ड बाबत
कोई जानकारी नही थी, उक्त विवादित भूमि आपसी भाई बंटवारे के अनुसार वादी संख्या 3 के
हिस्से में आई है इसलिय अब वादी नं. 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर बैंक से वितीय सहायता प्राप्त करने के
लिये दिनाक 19.07.2017 को राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तब सर्वप्रथम इस गलत रिकार्ड का
चला इससे पूर्व वादीगण को गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी नही थी। प्रतिवादी नं. 1 को
दुरूस्त करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी नं. 1 ने रिकार्ड दुरूस्त करवाने से मना कर दिया और
वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि राजस्व रिकार्ड हमारे नाम से चल रहा है जिसके आधार पर इस
भूमि स आपको बेदखल कर कब्जा करेंगे जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है। इसलिये
विवादित भूमि का रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड के खातेदारी खाने से प्रतिवादीगण का
नाम हटया जाकर राजस्व रिकार्ड अकेले वादीगण के नाम से दर्ज किया जाना कानूनन व न्यायहित में
आवश्यक है ताकि वादीगण के खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हो सके और वादीगण के साथ न्याय हो।
इसलिये रिकार्ड दुरूस्ती का यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण वादीगण को लठ के
बल पर बेदखल करना चाहते हैं तथा विवादित भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज करने पर तुले हुये हैं तथा
भूमि का हस्तानान्तरण भी कर सकते हैं। अगर प्रतिवादीगण अपनी नाजायज मंशा में सफल हो गये तो
वादीगण को अपार क्षति होगी और वादीगण अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग नही कर सकेंगे।
वादीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है और
नुकसान होने का पुरा पुरा अदेशा है इसलिये प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई
कानूनन व न्यायहित में आवश्यक है। राजस्व रिकार्ड मं दर्ज खातेदार
बिरमा व भूरी पत्नी बिरमा की मृत्यु हो चुकी हैं जिनका नामा0 नहीं भरा गया
पुत्र बिरमा व भूरी पत्नी बिरमा की मृत्यु हो चुकी हैं जिनका नामा0 नहीं भरा गया
उनके वारिसान को प्रतिवादीगण नं. 9 लगायत 16 के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

pc

T.C.

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

दडकी पत्नी डूंगा की भी मृत्यु हो चुकी है जिसका वारिस प्रतिवादी न. 17 पक्षकार दावा है कानूनी वारिस नही रहे। अतः वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस बाबत् की जावे कि ग्राम डूमरा की सरहद में स्थित भूमि वर्तमान ख.न. 369 रकबा 0.55 है0 के वादीगण ही खातेदार काश्तकार व काबिज हैं और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि नया खाता 361 के ख.न. 369 रकबा 0.55 है0 के राजस्व रिकार्ड के खातेदारी खाने से प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 8 व 17 को तथा प्रतिवादीगण नं. 9 लगायत 16 के बुर्जगो रिछपाल व मोहनलाल का तथा पोकर की पत्नी बिरमा व दडकी पत्नी डूंगा का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे और आवश्यक दुरूस्त हेतु तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे इस गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल नही करे और वादीगण को अपनी खातेदारी काश्तकारी व कब्जे की भूमि में काश्त करने व फसल काटने व शांतिपूर्वक उपभोग उपयोग में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं पैदा करे और ना ही अपने नौकर चाकर रिश्तेदार आदि से पैदा करवाये तथा वादीगण को उनकी कयशुदा भूमि से बेदखल नही करने देवे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. ... बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण न. 1, 2/1 लग 2/6, 3 लगायत 8, 10 लगायत 12, 14 लगायत 17 की ओर से श्री अशोक कुमार चोबदार का वकालतनामा पेश हुआ तथा इनकी और से इकबालिया जबाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण स्वीकार किया गया तथा अपने अतिरिक्त उतर में वर्णित किया कि वादग्रस्त भूमि हाला ख.न. 369 रकबा 0.55 है0 भूमि को वादीगण ने 31.08.1978 को जरिये ... प्रतिवादी नं. 1 रामलाल पुत्र सुरजाराम से कय की थी जिसका आपसी सहमति से वादीगण ... राजस्व रिकार्ड दर्ज करवाकर खाता अलग करवा दिया था। वादीगण द्वारा उक्त 5 बीघा कच्ची भूमि का कय करने के रोज से वादीगण का ही कब्जा काश्त है और वादीगण ही काबिज है। वादीगण के आपसी विभाजन के अनुसार उक्त 5 बीघा कच्ची भूमि वादी नं. 3 के हिस्से में आई है जिस पर वादी न. 3 काबिज काश्त है परन्तु दौराने सैटलमेन्ट उक्त भूमि में वादीगण के साथ हम अन्य प्रतिवादीगण के व हमारे बुजुर्गों के नाम दर्ज कर दिये गये जो गलत रूप से दर्ज किये गये हैं। उक्त भूमि हाल ख.न. 369 रकबा 0.55 है0 से हमारा व हमारे बुजुर्गों का नाम हटा दिया जाता है तो हमें व हमारे परिवार को कोई ऐतराज नही है तथा नाही भविष्य में कोई एतराज होगा।

जबाब दावा प्रस्तुत होने पर शहादत वादीगण ली जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस तथ्यों पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम डूमरा संवत 2028 से 2031 तथा संवत 2032 से 2035 के अनुसार भूमि ख.न. 576 रकबा ... बीघा 19 विश्वा ख.न. 582 रकबा 19 बीघा 17 बिश्वा के रामलाल पुत्र सुरजा हि0 3/4 पोकर जैसा बिरमा डूंगा पिता गोपाल हि0 1/4 सा.दे.दर्ज रिकार्ड है। नकल खसरा परिशोधन पत्र भू–प्रबंध विभाग का अवलोकन किया गया जिसमें अंकन है कि "रामलाल ने अपने हिस्से की भूमि ख.न. 576 की 2 ... भूमि रतनलाल मगनाराम मनभरराम पिता गणपतराम ने खरीद कर अपने खेत में जो पूर्व ... मिला ली है। कब्जा भी हो गया है।" नकल मिलान क्षेत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 के अनुसार भूमि ख.न. 576मी से नया ख.न. 1194/294/0.55, तथा 1195/293/0.32 है0 बनना प्रमाणित है। नकल जमाबंदी ग्राम डूमरा संवत 2043 आधार वर्ष 2043 के अनुसार भूमि ख.न. 1194/294/0.55 है0 की खातेदारी रतनाराम मगनाराम मनभर पिता गणपतराम जाट हि0 2बीघा 5 बिश्वा, रामलाल पुत्रसुरजा हि0 3/4 पोकर जैसा बिरमा डूंगा पिता गोपाल ठि 1/4 सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नकल ... ग्राम डूमरा तस्दीक वर्ष 2045 के अनुसार भूमि ख.रन. 1194/294 से नया ख.न. 340/0.55 है0 बने तथा आधार वर्ष तस्दीक वर्ष 2057–60 के अनुसार इससे ख.न. 340 से नया ख.न. 369 ... है0 बने। नकल जमाबंदी ग्राम डूमरा संवत 2069 से 2072 के अनुसार भूमि ख.न. 369 ... 0.55 है0 की खातेदारी रतनाराम मगनाराम मनभर पिता गणपतराम जाट हि0 2 बीघा 5 बिश्वा रामलाल पुत्र सुरजाराम हि0 3/4 हरिशचन्द्र पिता मु0 पोकर हि0 1/15 विद्याधर सुरेश विजयपाल पि0 ... हि0 1/16 हि. ब. नारायण रिछपाल मामचन्द मोहनलाल पि0 बिरमा ... इमरती पत्नी स्व0 हनुमान हि0 1/16 हि.ब. सहीराम पु. डूंगा टडकी पत्नी स्व0 डूंगा हि. 1/16 हि.ब. जाति ... पत्नी स्व0 बिरमा हि0 1/16 हि.ब. सहीराम पु. डूंगा ... भू–प्रबंधक विभाग राजस्थान द्वारा जारी खसरा परिशोधन पत्र में ... देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

T.C

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

[illegible] है कि "रामलाल ने अपने हिस्से की भूमि ख.न. 576 की 2 बीघा 5 बिश्वा भूमि रतनलाल [illegible]राम मनभरराम पिता गणपतराम ने खरीद कर अपने खेत में जो पूर्व में पडता है मीला ली है कब्जा [illegible] है" इसके बावजूद भी भू–प्रबंध कार्यवाही के बाद बने नये रिकार्ड में भूमि ख.न. 1194/294 [illegible] 0.55 है0 में क्रेता रतनाराम मगनाराम मनभर पिता गणपत जाति जाट के साथ पुनः भूमि विक्रेता [illegible] है0 3/4 पोकर जैसा बिरमा डूंगा पि0 गोपाल हि0 1/4 को दर्ज कर दिया गया [illegible] जाना उनके अधिकार क्षेत्र का नही था। इसप्रकार वादीगण की क्रयशुदा भूमि का [illegible] 0.55 है0 जिसके केवल वादीगण की ही खातेदारी की भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण नं. 1 [illegible]यत 8, 10 लगायत 12 व 14 लगायत 17 द्वारा इकबालिया जबाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण [illegible] किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि ख.न. 369 रकबा 0.55 है0 से प्रतिवादीगण व उनके बुर्जगों [illegible] हटाये जाने में कोई एतराज नही होना अंकित किया गया। अतः उपरोक्त वाद वादीगण [illegible]दित होने के कारण वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम डूमरा की भूमि ख.न. 369 रकबा 0.55 है0 का [illegible] को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता [illegible] मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे तथा वादीगण [illegible] दर्ज नामों को हटाया जावे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर [illegible] तथा वाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 08.01.[illegible] को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

[signature] 8/1/18

(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी

नवलगढ

54

	दरख्वास्त	11-1-18
2.	[illegible]	12-1-18
3.	तारीख [illegible]	12-1-18
4.	तारीख तैयारी नकल	12-1-18
5.	तारीख नकल देने की	12-1-18
6.	तादाद [illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[signature]

T.C.

Scanned by CamScanner